

कोषाधिकारी,

जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा,

अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।

(स्वीकृति संख्या 08 /2017-18)

विषय : वर्ष 2017-18 में नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर की स्वीकृति क्रमांक.प6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/1388-1444 दिनांक 24.04.2017 (प्रति संलग्न) एवं समसंख्यक स्वीकृति क्रमांक 1451-1506 दिनांक 25.04.2017 में अंकितानुसार सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 19712.06 लाख (अक्षरे एक अरब सत्तानवें करोड़ बारह लाख छः हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे।

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगम को सहायता

(03) - विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) - राज्य निधि

राशि रुपये 19712.06 लाख

उक्त हस्तान्तरित की जाने वाली राशि में से माह अप्रैल, 2017 में राशि रुपये 6570.68 लाख, माह मई, 2017 में राशि रुपये 6570.68 लाख व माह जून, 2017 में राशि रुपये 6570.70 लाख प्रतिमाह विभागीय स्वीकृति (संलग्न सूची) के अनुसार माह के अंतिम कार्य दिवस को संबंधित निगमों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित की जावे।

भवदीय

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
7. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
8. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
9. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

जी-3, राज महल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 1388

दिनांक 24/04/17

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर निगमों को वर्ष 2017-18 में माह अप्रैल 2017 से जून 2017 (03 माह) के लिए चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य के नगर निगमों को राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्ति की घोषणा के पश्चात होने वाली हानि के पुनर्भरण हेतु माह अप्रैल 2017 से जून 2017 (03 माह) तक के लिये राशि रुपये 19712.06 लाख (अक्षरे एक अरब सत्यानवें करोड़ बारह लाख छः हजार मात्र) संलग्न सूची के अनुसार भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विकलेय मद

बजट प्रावधान

मांग संख्या - 29

2217-- शहरी विकास	स्वीकृत प्रावधान	—	78848.22 लाख
80 -- सामान्य	अतिरिक्त प्रावधान	—	0.00 लाख
191 -- नगर निगम को सहायता	कुल स्वीकृत प्रावधान	—	78848.22 लाख
(03) -- विशेष अनुदान -- प्रतिबद्ध	इस स्वीकृति पर व्यय	—	19712.06 लाख
[00]			
12--सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	शेष	—	59136.16 लाख

उपरोक्त राशि निदेशक वित्त (बजट) विभाग द्वारा सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171700401 दिनांक 19.04.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

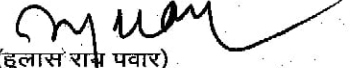
क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 1388

दिनांक 24/04/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- 1209-1444

01. निजी सचिव, मा0मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 15 अतिरिक्त प्रतियों भिजवाकर निवेदन है कि राशि सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में माह के अन्तिम कार्य दिवस को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें। वित्त विभाग की टिप्पणी के क्रम में आरयूआईडीपी आदि की बकाया राशि की कटौतियां राज्य वित्त आयोग अनुदान से की जावेगी।

06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा, राज0 जयपुर।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
09. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्वीकृति में अंकित कालम संख्या 6 में अंकित राशि माह अप्रैल 2017, कालम संख्या 7 में अंकित राशि माह मई 2017, कालम संख्या 8 में अंकित राशि माह जून 2017 में माह के अन्तिम कार्य दिवस को सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में जमा करें ताकि प्रत्येक माह की एक तारीख को राशि आहरित की जा सके। प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नगर निगम कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों के भुगतान हेतु नियमानुसार चैक पारित करे तथा शेष राशि माह की अन्तिम तारीख तक आगामी माह के लिये राशि निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित होने पर भुगतान करे। समस्त कोषाधिकारी इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखे कि प्रत्येक माह कॉलम संख्या 6, 7 एवम् 8 में अंकित राशि से अधिक राशि इस स्वीकृति के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित नहीं की जावे। प्रतिमाह यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित करें कि पूर्व में इस स्वीकृति से आहरित राशि से कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर कटौतियों की राशि सम्बन्धित मदों में जमा करा दी गयी है।
16. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कॉलम संख्या 6, 7 एवम् 8 में आवंटित राशि का प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को संस्था के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण करवाकर आगामी माह की 07 तारीख तक प्रथमतः वेतन एवम् भत्तों के भुगतान एवं कर्मचारियों की कटौतियों को जमा कराने हेतु राशि आहरित करें तथा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भिजवावें। साथ ही अगला चैक पारित करवाने से पूर्व कोषाधिकारी को प्रतिमाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि पूर्व में आहरित की गयी राशि में से कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा कटौती की राशि सम्बन्धित लेखों में जमा करवा दी गयी है।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर।
18. समस्त अधिकारीगण/बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
19. प्रभारी वेबसाइट/प्रभारी ई-गवर्नेन्स/समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
20. सुरक्षित पत्रावली।


 (हुलास राम पवार)
 मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
वेबसाईट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई-मेल- caodlb@gmail.com टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/1450

दिनांक 25.04.2017

—: संशोधित स्वीकृति आदेश —:

वर्ष 2017-18 में चुंगी पुनर्भरण अनुदान के अन्तर्गत जारी स्वीकृति आदेश क्रमांक प.6(ट)(159) लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/1388-1444 दिनांक 24.04.2017 राशि रुपये 19712.06 लाख (अक्षरे रुपये एक अरब सत्तानवें करोड़ बारह लाख छः हजार मात्र) में अंकित बजट मद को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217- शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगम को सहायता

(03) - विशेष अनुदान - प्रतिबद्ध

[00]

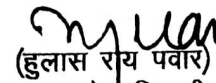
12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)


(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/1451-1506
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक 25.04.2017

01. निजी सचिव, मा0मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा, राज0 जयपुर।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
09. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर।
16. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर।
18. समस्त अधिकारीगण/बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
19. प्रभारी वेबसाईट/प्रभारी ई-गवर्नेन्स/ समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. सुरक्षित पत्रावली।


(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर निगमों को आवंटित चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि की प्रथम किस्त

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	नाम नगर निगम	श्रेणी	वर्ष 2017-18 में आवंटन योग्य सकल राशि	माह अप्रैल से जून 2017 हेतु स्वीकृत राशि	माह अप्रैल 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि	माह मई 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि	माह जून 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	कोष कार्यालय, जयपुर शहर (1108)						
1	जयपुर	निगम	30455.76	7613.94	2537.98	2537.98	2537.98
	कोष कार्यालय, जोधपुर शहर (1117)						
2	जोधपुर	निगम	8866.70	2216.68	738.89	738.89	738.90
	कोष कार्यालय, कोटा (1118)						
3	कोटा	निगम	14892.22	3748.05	1249.35	1249.35	1249.35
	कोष कार्यालय, अजमेर (1091)						
4	अजमेर	निगम	6875.09	1718.77	572.92	572.92	572.93
	कोष कार्यालय, बीकानेर (1099)						
5	बीकानेर	निगम	4078.46	1019.62	339.87	339.87	339.88
	कोष कार्यालय, उदयपुर (1128)						
6	उदयपुर	निगम	9302.94	2325.74	775.25	775.25	775.24
	कोष कार्यालय, भरतपुर (1097)						
7	भरतपुर	निगम	4277.05	1069.26	356.42	356.42	356.42
	योग						
	योग		78848.22	19712.06	6570.68	6570.68	6570.70

(अक्षरे रूपये एक अरब सत्यानर्धे करोड़ बारह लाख छः हजार मात्र)

(प्रबल अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव